भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 749

जिसका उत्तर गुरुवार, 05 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालयों का प्रभाव

749 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आपराधिक मामलों के निपटारे में त्वरित न्यायालयों के प्रभाव का आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या त्वरित न्यायालय प्रणाली ने निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम किया है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, अपनी अपेक्षाओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, त्वरित न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना करते हैं। इस संबंध में, 14वें वित्त आयोग ने 2015-2020 की अवधि के दौरान 1800 त्वरित न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना की सिफारिश जघन्य अपराधों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों और पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों सहित विशिष्ट श्रेणियों के मामलों का शीघ्र निपटान के लिए की थी। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.12.2025 तक 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 880 त्वरित न्यायालय कार्यरत हैं। इन त्वरित न्यायालयों की स्थापना के लिए कोई केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, अनन्य पीओसीएस (ईपीओसीएसओ) न्यायालयों सहित त्वरित परीक्षण विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। ये न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन लंबित मामलों के समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए समर्पित हैं। इस स्कीम का दो बार विस्तार किया गया है, नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है, जिसके अधीन 790 न्यायालयों की स्थापना होना है।

एफटीएससी स्कीम के समाघात का निर्धारण स्कीम के विस्तार के दौरान किए गए तृतीय-पक्षकार मूल्यांकनों के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 2021 में एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया, जिसमें स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की गई। तत्पश्चात, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा 2023 में एक मूल्यांकन किया और अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं और बालकों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान में इसकी सकारात्मक भूमिका को देखते हुए स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की गई। हाल ही में नीति आयोग द्वारा मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया है, जिसने महिलाओं और बालकों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान, लंबित मामलों में कमी और न्याय वितरण और महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण के अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसकी समाघात शीलता को देखते हुए, एफटीएससी स्कीम को केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी रखने की सिफारिश की है।

मामलों की लंबितता में कमी लाने में इन न्यायालयों के समाघात के संबंध में, उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफटीसी ने पिछले 3 वर्षों अर्थात 2023, वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के दौरान 40,26,982 मामलों का निपटान किया है। वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे **उपाबंध-1** में दिए गए है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफटीएससी ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 2,28,414 मामलों का निपटान किया है। वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे **उपाबंध-2** में दिए गए है।

उपाबंध –1

31.12.2025 तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र **-वार कार्यरत फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीएससीएस) के ब्यौरे**

क्रम संख्या	**राज्य/** संघ राज्य क्षेत्र	**31.12.2025 तक कार्यात्मक एफटीसी**	**2023 में कुल निपटान**	**2024 में कुल निपटान**	**2025 में कुल निपटान**
1	आंध्र प्रदेश	21	2385	4601	3257
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	असम	16	8265	7385	6346
5	बिहार	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	27	3788	4635	5378
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0
9	दिल्ली	26	1688	3276	4047
10	गोवा	4	7722	901	1574
11	गुजरात	54	4787	5625	4278
12	हरयाणा	6	474	358	353
13	हिमाचल प्रदेश	3	160	212	182
14	जम्मू-कश्मीर	8	83	106	203
15	झारखंड	39	2107	2531	2442
16	कर्नाटक	0	0	0	0
17	केरल	16	0	0	0
18	लद्दाख	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	102	164182	133818	293807
22	मणिपुर	6	155	89	94
23	मेघालय	0	0	0	0
24	मिजोरम	2	320	393	365
25	नगालैंड	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	1	0	2	874
28	पंजाब	7	291	247	151
29	राजस्थान	0	0	0	0
30	सिक्किम	2	10	14	7
31	तमिलनाडु	73	25295	34767	27734
32	तेलंगाना	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	2	242	224	308
34	उत्तर प्रदेश ।	373	1200766	953274	954136
35	उत्तराखंड	4	386	485	343
36	पश्चिमी बंगाल	88	98087	21942	25025
	कुल	**880**	**1521193**	**1174885**	**1330904**

स्रोत : उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार।

उपाबंध -2

31.12.2025 तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र **-वार कार्यरत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससीएस) के ब्यौरे**

क्र. सं.	**राज्य/** संघ राज्य क्षेत्र	**31.12.2025 तक कार्यात्मक एफटीएससीएस**	**2023 में कुल निपटान**	**2024 में कुल निपटान**	**2025 में कुल निपटान**
1	आंध्र प्रदेश	16	2368	2138	2701
2	असम	17	2300	2685	2393
3	बिहार	54	4464	4556	5836
4	चंडीगढ़	1	128	73	131
5	छत्तीसगढ	15	1450	1365	1410
6	दिल्ली	16	756	833	819
7	गोवा	1	23	51	49
8	गुजरात	35	4275	4228	3790
9	हरयाणा	18	2094	1911	1779
10	हिमाचल प्रदेश	6	299	432	306
11	जम्मू-कश्मीर	4	41	112	102
12	झारखंड*	0	2189	2313	979
13	कर्नाटक	30	3713	3553	3260
14	केरल	55	7044	6324	4998
15	मध्य प्रदेश	67	8130	6152	5374
16	महाराष्ट्र	37	6811	3716	1009
17	मणिपुर	2	48	45	47
18	मेघालय	5	135	265	164
19	मिजोरम	3	60	73	62
20	नगालैंड	1	6	11	12
21	ओडिशा	44	5153	5747	5066
22	पुदुचेरी	1	44	78	72
23	पंजाब	12	1502	1127	1277
24	राजस्थान	45	4213	4288	4415
25	तमिलनाडु	20	1861	2670	2211
26	तेलंगाना	36	1720	2499	2567
27	त्रिपुरा	3	163	89	109
28	उत्तराखंड	4	383	437	290
29	उत्तर प्रदेश	218	14898	27640	14848
30	पश्चिमी बंगाल	8	48	184	424
	कुल	***774***	**76319**	**85595**	**66500**
* झारखंड राज्य ने 07.07.2025 के पत्र के अनुसार **एफटीएससी** स्कीम से बाहर निकलने का विनिर्णय किया है।					

स्रोत : उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार।
